जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 21.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा महिला के जहरीला पदार्थ खा लेने पर महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3303 को इवेंट सं0 41698 से थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मेंहदावल पाइपास से कालर द्वारा एक महिला के जहरीला पदार्थ खा लेने (चन्द्रकला पत्नी तौलन निवासी ग्राम महादेवा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिलाअस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त महिला को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 विकास कुमार, हो0चा0 विरेन्द्र चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 138 वाहनों से 1,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 138 वाहनों से 1,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*** "ऑपरेशन कनविक्शन व "ऑपरेशन शिकंजा" भियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 21.01.2025 को न्यायालय – मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1813/2017 धारा 376 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता राजू यादव पुत्र रमहरख निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 376 भादवि के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदा किये गये अर्थदण्ड की आधी धनराशि अन्तर्गत धारा 357 सीआरपीसी पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी। प्रस्तुत प्रकरण में सिद्ध दोष द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्ड के साथ समायोजित किया जाए। सिद्धदोष राजू यादव को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 06 स्थानो पर लगवाये गये 38 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 21.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 06 स्थानो पर 38 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरे, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 04 स्थानो पर 28 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के मारपीट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में **मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी** के फलस्वरुप आज दिनांक 21.01.2025 को श्रीमान **जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद सन्तकबीरनगर** द्वारा **थाना दुधारा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 799 / 2011 धारा 323, 324, 308, 504, 506 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता जियालाल पुत्र स्व0 कलेश्वर चौधरी निवासी सुखरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 504,506 भादवि ने दोषमुक्त किया जाता है व धारा 323/34 भा0द0वि0 में 06 माह कठोर कारावास तथा 1000 रु0 अर्थदण्ड धारा 324/34 भा0द0वि0 में 02 वर्ष कठोर कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड व धारा 308/34 में 03 वर्ष कठोर कारावास व 8000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभि0 को 1000 रु0 के बदले 15 दिन, 2000 रु0 के बदले 02 माह, 8000 रु0 के बदले 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात पुलिस संतकबीरनगर द्वारा स्कूली बच्चो को किया गया जागरुक

आज दिनांक 21.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा खलीलाबाद इण्टर कालेज में यातायात जागरूकता सम्बन्धित आयोजन किया गया। यातायात जागरुकता बढ़ाने हेतु स्कूल के अध्यापको की उपस्थिति में यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए दो पहिया वाहन चलाते समय नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने, तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के बारे में बताया गया तथा अपने परिवार / रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी। जो चालक बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाते पाए गए उनको जागरूक करते हुए छोड़ा गया और हिदायत भी दिया गया कि आपका जीवन अमूल्य है इसे व्यर्थ न गवाएं। इस दौरान यातायात जागरूकता के अधिकारी/कर्मचारी हे0का0 आनन्द मोहन सिंह, हे0का0 सुरेन्द प्रसाद, हे0का0 अयोध्या साहनी का0 मयंक पाठक आदि मौजूद रहे।